<u>मसौदा</u>

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के लिए आदर्श नियम

अनुक्रमणिका

पेसा अधिनियम के उपबंध	शीर्षक
I. प्रस्तावना	
1.	संक्षिप्त नाम और नियमों की व्याप्ति
2.	परिभाषाएं
II. ग्राम सभा की संरचना और कार्यकरण	
3.	ग्राम सभा की संरचना
4.	गांव की घोषणा
5.	ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति होगी
6.	ग्राम सभा का सचिव, कार्यालय आदि
7.	ग्राम सभा की बैठकें सार्वजनिक होंगी
8.	निर्णय लेने की पद्धति
9.	ग्राम सभा की बैठकों की तारीख और समय
10.	ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही
11.	ग्राम सभा में उपस्थिति
12.	ग्राम सभा की विशेष बैठकें
13.	ग्राम सभा की स्थायी समिति
14.	समानांतर निकाय
15.	ग्राम सभा की स्थायी समितियों की पद्धति
16.	ग्राम सभा के विरुद्ध शिकायत
17.	ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकें
18.	ग्राम पंचायत की समिति ग्राम सभा में कार्य निष्पादित करेगी
III. ग्राम सभा के लेखे	
19.	ग्राम सभा कोष
20.	नकदी बॉक्स
21.	लेखे अनुरक्षित किए जाएंगे
22.	ग्राम सभावार लेखे
IV. शांति एवं सुरक्षा और विवाद समाधान	
23.	शांति बनाए रखने और विवाद समाधान में ग्राम सभा की भूमिका
24.	शांति समिति
25.	शांति एवं सुरक्षा कोर
26.	अंधविश्वास, जादू-टोना आदि से संबंधित मामले
27.	विवादों की सुनवाई ग्राम सभा द्वारा की जाएगी

28.	न्याय समिति
29.	विवाद समाधान की प्रक्रिया
30.	ग्राम सभा द्वारा दंड
31.	पुलिस की भूमिका
32.	गिरफ्तारी और जमानत
33.	विवाद समाधान के बारे में ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई
V. प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और भूमि का प्रबंधन	
34.	ग्राम सभा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करेगी
35.	संसाधन आयोजना एवं प्रबंधन समिति
36.	ग्राम सभा खेती की योजना बनाएगी
37.	भू-प्रबंधन
38.	भमि हस्तांतरण का निवारण
39.	हस्तांतरित की गई भूमि की पुनर्स्थापना
40.	भूमि-अधिग्रहण से पहले परामर्श
41.	जल संसाधनों की आयोजना एवं प्रबंधन
42.	सिंचाई का प्रबंधन
43.	तालाबों की भूमि का प्रबंधन
44.	मछली पकड़ना आदि।
VI. खान और खनिज	
45.	ग्राम सभा लघु खनिजों के लिए योजना बनाएगी
46.	वैयक्तिक ग्रामीणों द्वारा उपयोग
47.	गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा
48.	पर्यावरण का संरक्षण
49.	नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत प्रदान करना
VII. मानवशक्ति	
50.	ग्राम सभा श्रमिक बल के लिए योजना बनाएगी
51.	गांव से बाहर ले जाए गए श्रमिक
52.	जन्म, मृत्यु आदि का लेखा-जोखा।
53.	काम के बदले मजदूरी
54.	मस्टर रोल ग्राम सभा में जमा किया जाएगा
VIII. नशीले पदार्थों का नियंत्रण	
55.	नशीले पदार्थों का विनियमन
56.	नशीले पदार्थ नियंत्रण समिति
57.	नशीले पदार्थों के निर्माताओं को ग्राम सभा द्वारा निर्देश
58.	नई फैक्ट्री या दुकान खोलना
59.	शराब की दुकानों का जारी रहना
60.	महिलाओं के विचार महत्वपूर्ण होंगे

IX. लघु वन उपज	
61.	वनों के विभागीय कार्यक्रमों के लिए ग्राम सभा से परामर्श
62.	लघु वन उपज का प्रबंधन
63.	ग्राम सभा लघु वन उपज के विक्रय और रॉयल्टी का निर्णय करेगी
64.	लघु वन उपज का अधिकारिक प्रबंधन
65.	लघु वनों के लिए योजना
X. बाजारों का प्रबंधन	
66.	बाजारों पर नियंत्रण
67.	बाजार समिति
XI. साहूकारी	
68.	साहूकारी संव्यवहारों पर नियंत्रण: व्याप्ति और प्रक्रिया
69.	करारों की समीक्षा
70.	ऋण चुकौती का पुनर्निर्धारण
71.	ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन की कोई कुर्की या नीलामी नहीं होगी
72.	बीज और अन्न भण्डार
XII. लाभार्थियों की पहचान, योजनाओं के पर्यवेक्षण के अनुमोदन आदि की शक्तियां	
73.	ग्राम सभा लाभार्थियों की पहचान करेगी
74.	ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन
75.	सरकारी विभागों एवं ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन
76.	व्यय का प्रमाणीकरण
77.	ग्राम सभा को दिए जाने वाले कार्यों का विवरण
78.	पंचायत आदि की पूछताछ
79.	सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा
80.	राज्य का विधान प्रथागत कानून, समुदाय की सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होगा
XIII. खंड और जिला पंचायतों में नामांकन	
81.	राज्य सरकार खंड और जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को नामित करेगी

मसौदा

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के लिए आदर्श नियम

I. प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम और व्याप्ति

(1) इन नियमों को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के लिए आदर्श नियम कहा जाएगा।

(2) ये नियम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(3) ये नियम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत शामिल सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) **ग्राम सभा:** ग्राम सभा से गांव के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी ग्राम सभा अभिप्रेत है।

(2) **लघु जल निकाय:-** लघु जल निकाय से अभिप्रेत है पीने का पानी लाने, चेक डैम के निर्माण और 40 हेक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जल निकाय।

(3) **अनुसूचित क्षेत्र:-** अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) मे निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र।

(4) **गांव:-** गांव से अभिप्रेत है एक वास या वासों का समूह या एक बस्ती या बस्तियों का समूह जिसमें एक समुदाय शामिल होता है तथा परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है।

(5) **लघु वन उपज**:- लघु वन उपज में पादप मूल के सभी गैर-काष्ठ वन उत्पाद शामिल हैं जिसमें बांस, ब्रश काष्ठ, स्टंप, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदु, या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें, कंद आदि सम्मिलित हैं।

II. ग्राम सभा की संरचना और कार्यकरण

3. ग्राम सभा की सरंचना

किसी गांव की निर्वाचन तालिका में शामिल सभी लोग उस गांव की ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

4. गांव की घोषणा

(1) पेसा अधिनियम की धारा 4 (ख) के उपबंधों के अनुरूप, कोई गांव एक बस्ती या बस्तियों के समूह, या एक टोला या अनेक टोलों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें एक समुदाय शामिल होगा और वह अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करेगा।

(2) यदि किसी बस्ती के लोगों की यह राय है कि उनकी बस्ती को एक गांव के रूप में अभिलेखित

किया जाना चाहिए, और उसे इस प्रकार अभिलेखित नहीं किया गया है, तो वे इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर सकेंगे और उसे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को भेज सकेंगे।

(3) एसडीएम प्रस्ताव के गुणागुण की जांच करेंगे। जांच के अनुकूल परिणाम के मामले में, उस बस्ती को एक गांव के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

5. ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति होगी

(1) ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति माना जाएगा।

(2) ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगी।

6. ग्राम सभा का सचिव, कार्यालय, आदि

(1) ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम सभा का सचिव माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हों, ग्राम पंचायत का सचिव सभी ग्राम सभाओं का सचिव होगा।

(2) ग्राम सभा सचिव के अलावा अपने सदस्यों में से एक सहायक सचिव नियुक्त कर सकेगी। लेकिन सहायक सचिव किसी भी वेतन, मानदेय आदि का हकदार नहीं होगा। वह मानद रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

(3) सहायक सचिव का कर्तव्य सचिव की सहायता करना और उसके साथ मिलकर काम करना होगा। सचिव की अनुपस्थिति में सहायक सचिव उनकी ओर से कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) ग्राम पंचायत का कार्यालय ग्राम सभा का कार्यालय होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हैं, तो ग्राम पंचायत के मुख्यालय के अलावा प्रत्येक ग्राम सभा का अपने गांव में अपना कार्यालय होगा, जैसे कि किसी आम आदमी का घर। इस कार्यालय के लिए किसी भी रूप में किराया देय नहीं होगा।

7. ग्राम सभा की बैठकें सार्वजनिक होंगी

(1) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक या कार्यवाही सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी,

(2) यदि ग्राम सभा की बैठक किसी बंद भवन में होनी है तो भी दरवाजे बंद करने या उसमें प्रवेश पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

8. निर्णय लेने की पद्धति

(1) जहां तक संभव हो, ग्राम सभा का कामकाज सर्वसम्मति से किया जाएगा।

टिप्पणी: "सर्वसम्मति" से अभिप्रेत है कि उपस्थित लोग या तो प्रस्ताव से सहमत हैं या तटस्थ हैं, और उनमें से कोई भी उसके विरोध में नहीं हैं। सर्वसम्मति के लिए गणपूर्ति की बाध्यता है।

(1) किसी बैठक में किसी मुद्दे पर सहमति न बन पाने की स्थिति में, उस मामले पर एक सप्ताह या उसके बाद, जैसाकि ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाए, होने वाली बैठक में चर्चा की जायेगी।

(2) अगर दूसरी बैठक में भी सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

लेकिन ऐसी बैठकों में गणपूर्ति की बाध्यता होगी। गणपूर्ति के अभाव में, मामला शून्य माना जायेगा। बाद में गणपूर्ति पूरी होने पर इस मुद्दे का निर्णय बहुमत से किया जा सकता है।

9. ग्राम सभा की बैठकों की तारीख और समय

(1) ग्राम सभा की बैठक दो माह में कम से कम एक बार होगी। ग्राम सभा स्थायी रूप से बैठक की एक निश्चित तारीख (अर्थात् अंग्रेजी तारीख, भारतीय तारीख या सप्ताह का दिन), समय और स्थान तय कर सकती है। ऐसे मामले में विशिष्ट बैठकों के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।

(2) तथापि, यदि ग्राम सभा प्रत्येक बैठक को अलग से तय करने का निर्णय लेती है, या किसी विशेष दिन पर बैठक आयोजित करने का निर्णय लेती है, तो निर्णय के तीन दिनों के भीतर पूरे गांव में घोषणा की जाएगी।

10. ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाहियां

(1) ग्राम सभा की बैठक के लिए एक वर्ष के लिए एक अध्यक्ष का चयन किया जायेगा। उपस्थित सदस्यों में से केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य का इस प्रयोजनार्थ चयन किया जायेगा:

परंतु यह कि उन गांवों में जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10% से कम है, अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जा सकेगा, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं हैं:

परंतु यह और कि पंचायत का कोई भी सरपंच या पंच ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष का चयन यथासंभव सर्वसम्मति से किया जायेगा। सर्वसम्मति न होने की स्थिति में उपस्थित सदस्यों में से अनुसूचित जनजाति की सबसे बुजुर्ग महिला अध्यक्ष होगी।

(3) यदि ग्राम सभा अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे साधारण बहुमत से उसे हटाने और नए अध्यक्ष का चयन करने का अधिकार होगा।

(4) ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का पांचवां भाग होगा। महिलाओं के लिए एक अलग गणपूर्ति होगी, जो सामान्य गणपूर्ति का एक-तिहाई होगी।

(5) गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित मानी जायेगी। लेकिन उपस्थित सदस्यों के मध्य एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का निर्णय हो सकता है। स्थगित बैठक में भी गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(6) ग्राम सभा की बैठक में पिछले महीने की आय, व्यय, श्रमिकों का मस्टर रोल, बिक्री और खरीद का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाएगा। किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा की जाएगी और स्थिति में सुधार के लिए ग्राम सभा के निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(7) बैठक का समापन करते समय ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण सचिव/अपर सचिव एवं उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा तैयार किया जायेगा। बैठक में वह वक्तव्य पढ़ा जाएगा। कथन की सत्यता पर आम सहमति के बाद अध्यक्ष, सचिव या उसका लेखक हस्ताक्षर करेंगे या निशान लगाएंगे। विवादों के निपटारे के मामले में न्यायिक समिति के सदस्य उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करेंगे या मोहर लगाएंगे।

11. ग्राम सभा में उपस्थिति:

ग्राम सभा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए गांव के प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगी। बिना उचित कारण के सदस्य के अनुपस्थित रहने पर संबंधित परिवार को दंडित किया जा सकेगा।

12. ग्राम सभा की विशेष बैठक:

(1) इसकी नियमित बैठकों के अलावा, निम्नलिखित परिस्थितियों में ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित की जा सकेंगी:

(i) यदि ग्राम सभा की सामान्य बैठक में ऐसा निर्णय लिया जाता है,
(ii) यदि पंचायत में कोई प्रस्ताव है जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है,
(iii) यदि कोई अधिकारी सरपंच से अनुरोध करता है,
(iv) ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर।

(2) स्थिति (i) को छोड़कर, सचिव, सरपंच से परामर्श कर सात दिन के भीतर बैठक बुलाएगा और उसकी सार्वजनिक सूचना निर्धारित तारीख से 3 दिन पहले गांव में घोषणा एवं अन्य माध्यमों से दी जाएगी:

परंतु यह कि यदि सचिव को लगता है कि सरपंच बैठक आयोजित करने में बाधा डाल रहा है तो वह सरपंच की नकारात्मक सलाह के बावजूद बैठक आयोजित करेगा:

परंतु यह और कि, सचिव/सहायक सचिव की अनुपस्थिति या एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने की कार्रवाई के अभाव में, बैठक आयोजित करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करने वाले लोगों में से तीन सदस्य सरपंच को सूचित कर सकेंगे और कम से कम तीन दिन का नोटिस देकर बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(3) किसी विशेष बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जाएगी। ग्राम सभा के निर्णय अंतिम होंगे।

13. ग्राम सभा की स्थायी समिति

(1) ग्राम सभा गांव के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी। शांति समिति, न्याय समिति, संसाधन योजना और प्रबंधन समिति, नशा नियंत्रण समिति, ऋण नियंत्रण समिति, बाजार समिति, सभा कोष समिति और अन्य कोई समिति, जो ग्राम सभा द्वारा उपयुक्त समझी जाती है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार अस्थायी एवं तदर्थ समितियां भी गठित की जा सकेंगी।

(2) ग्राम सभा की स्थायी समितियों के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों के बीच में से किया जाएगा। सहभागी लोकतंत्र की भावना के अनुरूप, जहाँ तक संभव

हो, ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी समिति में शामिल किया जाएगा और उनसे किसी न किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन कराया जाएगा।

(3) समस्त स्थायी समितियों का कार्यकाल ग्राम सभा द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार एक या दो वर्ष का होगा। इस प्रयोजनार्थ निर्धारित तारीख को इन समितियों के सभी सदस्य अपने-अपने कार्यों से मुक्त हो जायेंगे। फिर ग्राम सभा उन्हें उसी या किसी अन्य स्थायी समिति में जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लेगी। ग्राम सभा सभी समितियों का पुनर्गठन करने में सक्षम है।

(4) प्रत्येक स्थायी समिति में एक अध्यक्ष और एक सचिव होगा। संबंधित समिति सर्वसम्मति से सदस्यों में से इनकी नियुक्ति करेगी:

परंतु यह कि यदि स्थायी समिति आम सहमति नहीं बना पाती है, तो साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

(5) विभिन्न विषयों पर ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित स्थायी समिति का होगा। लेकिन शासन से किसी भी रूप में प्राप्त धनराशि से निष्पादित कराए जाने वाले कार्यों का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत एवं उससे संबंधित समितियों का होगा।

14. समांतर निकाय

(1) यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी विषय जैसे वन, सिंचाई प्रबंधन आदि पर किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई निकाय या समिति गठित की जाती है, तो उसे उस विषय पर ग्राम सभा की स्थायी समिति माना जाएगा। संबंधित अधिनियम में उपबंधों के होते हुए भी, वह निकाय या समिति ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होगी।

(2) ग्राम सभा के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के लिए कानूनी निर्देश नहीं माना जाएगा। ऐसे निर्देशों को केवल "परामर्शी" के रूप में माना जाएगा।

(3) संबंधित समिति ऐसे "निर्देशों" को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी और उन्हें उसी या संशोधित रूप में लागू करने या न लागू करने का अंतिम निर्णय ग्राम सभा का होगा।

15. ग्राम सभा की स्थायी समितियों की पद्धतियां:

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की पद्धति ग्राम सभा के समान ही होगी, जो इस प्रकार है:

(1) ग्राम पंचायत सहित सभी समितियों की बैठकें खुले में होंगी।

(2) स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना, उसकी तारीख, समय और स्थान और उसमें निष्पादित किए जाने वाले कामकाज को निर्दिष्ट करते हुए, स्थायी समिति के सचिव द्वारा कम से कम तीन दिन पहले दी जाएगी।

(3) स्थायी समिति की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति अध्यक्ष सहित आधे सदस्य होगी।

(4) ग्राम सभा का कोई भी सदस्य स्थायी समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। वह अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के विषय पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा है। लेकिन अंतिम निर्णय

के समय उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) स्थायी समितियों के सभी निर्णय ग्राम सभा की प्रक्रिया के अनुसार लिये जायेंगे।

(6) स्थायी समितियों की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश दर्ज किया जाएगा।

16. ग्राम सभा के विरुद्ध शिकायत

(1) ग्राम सभा द्वारा की गई किसी कार्रवाई के बारे में की गई कोई भी शिकायत, आरोप या आपत्ति को पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा की आम बैठक में रखा जा सकेगा।

(2) यदि शिकायतकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की राय है कि शिकायत को हल करने में ग्राम सभा की सहायता के लिए एक पर्यवेक्षक आवश्यक है, तो वह जिला कलेक्टर से एक पर्यवेक्षक को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध कर सकेगा।

(3) यदि जिला कलेक्टर पर्यवेक्षक की आवश्यकता से संतुष्ट है, तो वह शिकायतकर्ताओं को सूचित करते हुए ग्राम सभा की बैठक के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(4) इस प्रकार नियुक्त पर्यवेक्षक शिकायतकर्ता की शिकायत के निवारण में सहायता करेगा।

(5) यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया है, तो शिकायतकर्ता या पर्यवेक्षक इस मुद्दे को लोकपाल के पास भेज सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

17. ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकें:

(1) प्रत्येक ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम है। लेकिन संसाधनों के प्रबंधन, सड़कों के निर्माण आदि जैसे मामलों में जिनमें अन्य ग्राम सभाओं के साथ काम करना आवश्यक है, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी ग्राम सभाओं की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।

(2) ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक ग्राम सभा के नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी जैसे कि सभी ग्राम सभाएं एक इकाई थीं।

(3) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जाएगी।

(4) संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 5% सदस्यों अथवा 10 सदस्यों, जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि गणपूर्ति पूरा नहीं हुई, तो अगली बैठक की तारीख उसी दिन तय कर दी जाएगी और इसे सभी ग्राम सभाओं को सूचनार्थ प्रेषित किया जाएगा।

(5) निर्णय लेने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी एकल ग्राम सभा के मामले में होती है।

(6) ग्राम पंचायत में सरकारी कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रवार आवंटन संयुक्त बैठकों में किया जाएगा जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। संयुक्त ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

18. ग्राम सभा में कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत की समिति:

ग्राम पंचायत संबंधित ग्राम सभा से सहमति प्राप्त करने के बाद ग्राम सभा के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन कर सकेगी। सभी "पंच" या उस ग्राम सभा से चुने गए सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे और उनमें से एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। यह स्थायी समिति उस ग्राम सभा के सभी कार्यों को पंचायत की ओर से निष्पादित करने में सक्षम होगी।

III. ग्राम सभा के लेखे

19. ग्राम सभा कोष

(1) ग्राम सभा एक ग्राम सभा कोष का अनुरक्षण करेगी।

(2) इस कोष में किसी भी रूप में प्राप्त योगदान शामिल होगा जिसमें नकद और वस्तुओं के स्वैच्छिक योगदान और ग्रामीणों का श्रम; लघु वन उपज, लघु खनिज आदि से सरकार के माध्यम से प्राप्त राशि; और संसाधनों की खपत पर अधिभार या ग्राम सभा द्वारा लगाया गया जुर्माना सम्मिलित हैं।

(3) कोष ग्राम सभा के नियंत्रण में रहेगा। ग्राम सभा को अपने निर्णय के अनुसार इसके उपयोग का पूरा अधिकार होगा।

(4) कोष का संचालन ग्राम कोष समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें सर्वसम्मति से नामित या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कम से कम तीन सदस्य शामिल होंगे। तीन सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिला होगी। एक सदस्य कोष की जमा राशि का प्रभारी होगा। दूसरा सदस्य लेखे-जोखे की देखभाल करेगा। तीसरा सदस्य पैसों के लेन-देन या खर्च का ध्यान रखेगा।

20. नकदी बक्सा

(1) ग्राम सभा के पास उपलब्ध 3000/- रुपये तक की नकदी को एक बक्से में ताले और चाबी की सुरक्षा में रखी जा सकेगी और अधिक राशि के मामले में इसे बैंक में रखा जा सकेगा।

(2) बक्से में रखी नकदी के मामले में बक्सा और बक्से के ताले की चाबी अलग-अलग व्यक्तियों के पास रखी जाएगी।

21. अनुरक्षित किए जाने वाले लेखे

(1) ग्राम सभा कोष का लेखा-जोखा ग्राम कोष समिति के एक सदस्य द्वारा एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

(2) कोष का लेखा-जोखा प्रत्येक माह ग्राम सभा की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

22. ग्राम सभावार लेखे:

प्रत्येक ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत निधि से किए गए व्यय का एक अलग लेखा-जोखा रखेगी, जिसे संबंधित ग्राम सभा द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा।

IV. शांति एवं सुरक्षा और विवाद समाधान:

23. शांति और विवाद समाधान अनुरक्षित करने में ग्राम सभा की भूमिका

(क) सामुदायिक परंपराओं और संविधान, विधि और प्रासंगिक नियमों की भावना को ध्यान में

रखते हुए, अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना ग्राम सभा का मौलिक कर्तव्य होगा।

(ख) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्रवाई/कार्यों के निष्पादन के लिए सक्षम है:

i) शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, जहां कोई भय न हो,
ii) प्रत्येक नागरिक के आत्मसम्मान की रक्षा करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना
iii) महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई/झगड़ा आदि सहित असामाजिक तत्वों की शरारतों का मुकाबला करना, और
iv) विवादों का समाधान करना।

24. शांति समिति

(1) ग्राम सभा एक शांति समिति का गठन कर सकेगी। शांति समिति में कम से कम 33% महिलाएं और न्यूनतम 50% अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होंगे।
(2) शांति समिति पड़ोसी गांवों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि पड़ोसी गांवों के सामान्य हित और परस्पर निर्भरता के मामलों में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई पड़ोसी गांवों के परामर्श पर आधारित हो।
(3) ग्राम सभा शांति समिति को निम्न के लिए शक्तियां प्रदान करेगी:
    (i) गांव की शांति भंग करने वाली घटनाओं की जांच करना और निर्णय के लिए ग्राम सभा को रिपोर्ट करना।
    (ii) शांति भंग करने वालों को सलाह देना और मध्यस्थता करना।
    (iii) जहां आवश्यक हो वहां तत्काल कार्रवाई करना और बाद में ग्राम सभा को रिपोर्ट करना।
    (iv) ग्राम सभा की मंजूरी से उचित कार्रवाई के लिए उपमंडल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट/अनुरोध करना।

25. शांति और सुरक्षा सैन्यदल

(1) ग्राम सभा जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक शांति और सुरक्षा सैन्यदल का गठन कर सकेगी। यह दल शांति समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।
(2) गांव के 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के युवा स्वेच्छा से शांति एवं सुरक्षा सैन्यदल में शामिल हो सकेंगे। लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में या किसी विशेष कारण से, ग्राम सभा स्वयं किसी भी युवा को दल में शामिल कर सकेगी।
(3) शांति एवं सुरक्षा सैन्यदल का नेता शांति समिति का पदेन सदस्य होगा।
(4) शांति और सुरक्षा सैन्यदल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए छोटे समूह बनाएगी जिन्हें रात्रि गश्त सहित कोई भी कार्य आवंटित किया जा सकेगा।
(5) यदि दल के सदस्यों को किसी भी अप्रिय घटना या उसके घटित होने की संभावना के बारे में पता चलता है, चाहे स्वयं या किसी अन्य माध्यम से, तो वे बिना देरी किए मामले को शांति समिति के समन्वयक या इसके किसी भी सदस्य के पास ले जाएंगे और उसके निर्देशों के

अनुसार कार्य करेंगे।

(6) दल के सदस्य किसी भी रूप में बल का प्रयोग नहीं करेंगे सिवाय ऐसी परिस्थिति के जहां उन्हें आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़े और वह भी केवल तभी जब उनके पास कोई अन्य रास्ता न हो और वे पूरी तरह से असहाय हों।

26. अंधविश्वास, जादू-टोने आदि से संबंधित मामले:

(1) अंधविश्वास, टोने-टोटके या जादू से संबंधित मामलों पर ग्राम सभा की खुली बैठकों में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(2) ग्राम सभा की लगातार दो बैठकों में अंधविश्वास के मामलों पर चर्चा की जाएगी ताकि सभी को इस विषय पर सोचने का मौका मिले।

(3) जब ऐसे मामलों पर चर्चा की जाती है, तो ग्राम सभा का कोई भी सदस्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।

(4) प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम सभा को मामले के बारे में तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करे।

27. विवाद ग्राम सभा द्वारा सुने जाएंगे:

(1) जब भी शांति समिति या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कोई विवाद ग्राम सभा में लाया जाता है, तो ग्राम सभा उस पर तुरंत विचार करेगी या सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी।

(2) ग्राम सभा या उसके द्वारा अधिकृत समिति अनुबंध-1 में दर्शाए अनुसार मामलों की सुनवाई करने और सजा देने में सक्षम होगी।

28. न्याय समिति

(1) विवादों की कार्यवाही/सुनवाई करने के लिए ग्राम सभा तीन से बारह सदस्यों वाली एक न्याय समिति का गठन कर सकेगी।

(2) समिति में विवेकशील वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जायेगा। कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जनजाति से होंगे और कम से कम 50% महिलाएं होंगी और दो व्यक्ति शांति समिति से होंगे जो इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

(3) न्याय समिति के निर्णय के अनुसार मामलों की सुनवाई तीन सदस्यों की पीठ द्वारा की जाएगी। प्रत्येक पीठ में कम से कम एक महिला होगी।

29. विवाद समाधान की प्रक्रिया

(1) किसी विवाद को सुलझाते समय ग्राम सभा या शांति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपरा के अनुसार कार्रवाई करेगी।

(2) किसी भी विवाद की सुनवाई केवल सार्वजनिक रूप से होगी। अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले, सभी संबंधित पक्षों के व्यक्तियों और कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल अन्य लोगों, यदि कोई हो, को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

(3) सभी लोगों के विचार सुनने के बाद, शांति समिति, ग्राम सभा को आगे की कार्रवाई के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(4) ग्राम सभा के सभी सदस्यों को शांति समिति के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर अपने विचार देने का अवसर मिलेगा।

(5) ग्राम सभा के विचार प्राप्त करने के बाद, शांति समिति, उचित संशोधन, यदि कोई हो, करने के बाद अपना निष्कर्ष और प्रस्ताव ग्राम सभा के समक्ष फिर से प्रस्तुत करेगी और सर्वसम्मति या बहुमत मत, जैसा भी मामला हो, के आधार पर उसे ग्राम सभा के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(6) यदि न्याय समिति के निष्कर्षों या प्रस्तावों को ग्राम सभा में बहुमत नहीं मिलता है, तो मामले को शांति समिति के पास भेजा जाएगा। पक्षकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के बाद, शांति समिति मामले को फिर से ग्राम सभा की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि शांति समिति के प्रस्ताव बहुमत प्राप्त करने में विफल रहता है, तो न्याय समिति और शांति समिति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेगी और उनका निर्णय ग्राम सभा का निर्णय माना जाएगा और उसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना होगा।

(8) किसी भी विवाद के समाधान का मुख्य उद्देश्य ऐसे विवाद को पूर्णतया समाप्त कर गांव में सौहार्द का माहौल बनाना होगा।

30. ग्राम सभा द्वारा दंड

(1) ग्राम सभा दंड के लिए निम्नानुसार उपबंध कर सकेगी:

(i) ऐसे मामलों में, जहां नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना, ग्राम सभा के सामने उस पर पछतावा करना, हुई गलती के लिए माफी मांगना और गलती न दोहराने का वादा करना उचित सजा मानी जाएगी।

(ii) अन्य मामलों में, ग्राम सभा द्वारा अनुबंध-I में दर्शाई गई अधिकतम सीमा तक जुर्माना लगाया सकेगा। जुर्माना, दोषी पाए गए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुपात में होगा।

(iii) यदि मामला अत्यंत गंभीर है, तो ग्राम सभा के अनुमोदन से सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की जा सकेगी।

31. पुलिस की भूमिका:

(1) यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है, संबंधित पुलिस अधिकारी मामले की विस्तृत रिपोर्ट ग्राम सभा या शांति समिति को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों में मध्यस्थता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध निवारक उपाय केवल ग्राम सभा के परामर्श से ही किए जाएंगे।

(2) यदि पुलिस को किसी अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो गंभीर अपराध या किसी असाधारण स्थिति को छोड़कर, जहां पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी एक प्रति ग्राम सभा या शांति समिति को भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो ग्राम सभा की विशेष बैठक या आगामी बैठक में मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि मामले का निपटान तीन माह मे नहीं होता है, तो ग्राम सभा आगे कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचित करेगी।

टिप्पणी: उन अपराधों को गंभीर माना जाएगा, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता में 2 या अधिक वर्ष की सजा का प्रावधान है।

32. गिरफ्तारी और जमानत:

(1) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, जहां तक संभव हो, संबंधित अधिकारी मामले पर विचार जानने के लिए मामले को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा। यदि ग्राम सभा पुलिस से सहमत नहीं है, तो इसका कारण लिखित रूप में बताने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी।

(2) ऐसे मामलों में जहां पुलिस को ग्राम सभा या शांति समिति से परामर्श किए बिना गिरफ्तारी करनी है, यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह मामले को जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में दो सप्ताह के भीतर, शांति समिति या ग्राम सभा के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत करे।

(3) गिरफ्तारी के समय शांति समिति के संयोजक अथवा उसके किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखे जाने के संबंध में ग्राम सभा या ग्राम सभा द्वारा नामित संबंधित व्यक्ति के शुभचिंतक को 48 घंटे के भीतर पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी।

33. विवाद समाधान के बारे में ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई:

यदि ग्राम सभा के किसी निर्णय से प्रभावित व्यक्ति या समूह को लगता है कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और निर्णय का पालन करना दंडनीय अपराध है और प्रभावित व्यक्ति पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो ऐसे मामलों में, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई शुरू करने से पहले, संबंधित अधिकारी निर्णय के संबंध में पूरी जानकारी के लिए ग्राम सभा या शांति समिति से संपर्क करेंगे।

V. प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और भूमि का प्रबंधन

34. ग्राम सभा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगी

(1) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्थित सामुदायिक संसाधनों के साथ-साथ उन संसाधनों की सुरक्षा और परिरक्षा करने में सक्षम है जिन पर उसे स्थानीय परंपरा और प्रासंगिक विधियों के अनुसार जल, भूमि और खनिज सहित पारंपरिक अधिकार प्राप्त हैं। इस भूमिका का पूर्ण निर्वहन करने के लिए ग्राम सभा उनके प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकती है।

(2) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि :

(i) आजीविका के साधन कायम रहें,

(ii) लोगों के बीच असमानता न

(iii) संसाधन कुछ लोगों तक ही सीमित न रहें, और

(iv) संधारणीयता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

(3) हालांकि प्रचलित नियमों के अनुसार प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकारों का उचित सम्मान किया जाएगा, उनका प्रबंधन सामुदायिक विरासत की अंतर्निहित भावना को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

35. संसाधन आयोजना और प्रबंधन समिति

(1) ग्राम सभा की एक स्थायी संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) होगी। सभी विभागों के प्रतिनिधि आरपीएमसी के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इसकी बैठकों में भाग लेंगे।

(2) आरपीएमसी गांव के क्षेत्र और आसपास के सभी संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए एक योजना बनाएगी और ग्राम सभा के सदस्यों को तदनुसार उपयोग करने के लिए सलाह देगी और सहयोग करेगी।

(3) आरपीएमसी संसाधनों के प्रबंधन या उपयोग के बारे में मतभेद या विवाद सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी। ग्राम सभा ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए आरपीएमसी को अधिकृत कर सकेगी। यदि आरपीएमसी इसका समाधान करने में सक्षम नहीं है तो ग्राम सभा की बैठकों में इन पर विचार किया जाएगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

(4) आरपीएमसी अपने कार्यों में सहायता के लिए खेती, लघु खनिज जैसे विशिष्ट मुद्दों पर उप-समितियों का गठन कर सकेगी।

36. ग्राम सभा कृषि के लिए योजना बनाएगी

(1) ग्राम सभा अपने गांव की खेती के बारे में योजना बनाने और कार्रवाई करने में सक्षम है ताकि किसान के लिए खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

(2) ग्राम सभा के निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हो सकते हैं:

(क) मिट्टी के कटाव का निवारण करना।

(ख) फसलों की सुरक्षा और घास के मैदानों की क्षमता बढ़ाने के लिए चराई को विनियमित करना।

(ग) वर्षा जल का संचय करना, इसका उपयोग खेती के लिए करना और इसके वितरण की व्यवस्था करना।

(घ) आपसी सहयोग से या अन्यथा, बीज, खाद आदि की व्यवस्था के साथ-साथ जानकारी का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना।

(ङ) जैविक खाद, उर्वरक और कीटनाशकों को बढ़ावा देना।

37. भूमि प्रबंधन

(1) ग्राम सभा गांव में भूमि के संबंध में निम्नलिखित क्रियाकलाप संचालित कर सकेगी:

(क) ग्राम सभा की बैठकों में गांव की संपूर्ण भूमि के अभिलेख की यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कि किसानों के नाम सही ढंग से दर्ज किए गए हैं और अभिलेख ठीक से बनाए रखे गए हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के उपाय कि खेती की भूमि किसी भी कारण से परती न रहे और

प्रवासी लोगों, आश्रितों और नाबालिगों आदि की भूमि पर खेती की व्यवस्था करना और ऐसी भूमि को जोतने वालों के लिए शर्तों का निर्धारण करना।

(ग) ऐसी व्यवस्था करना कि पलायन करने वाले लोगों की भूमि पर भूमिहीन या जरूरतमंद लोग खेती कर सकें और ऐसी खेती के लिए शर्तें तय करना।

(2) ग्राम अधिकारियों को भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी: किसी भी प्रकार के हस्तांतरण में बिक्री, बंधक, पट्टा-अनुबंध आदि शामिल होते हैं जिसमें भूमि का मालिक या जोतने वाला बदल जाता है।

(3) भूमि बंधक से संबंधित सभी मामले ग्राम सभा के समक्ष रखे जायेंगे। ग्राम सभा ऐसे बंधक को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है या ऐसे बंधक की शर्तों का निर्णय ले सकती है।

38. भूमि स्थानांतरण का निवारण

(1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति की कोई भी भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हस्तांतरित न हो।

(2) ग्राम सभा शिकायतों या स्वत: संज्ञान के आधार पर किसी भी भूमि लेनदेन की जांच करने या शांति समिति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम होगी।

(3) शांति समिति अपने निष्कर्ष ग्राम सभा के समक्ष रखेगी।

(4) यदि ग्राम सभा की राय है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमि को विलगित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह लेनदेन पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर सकती है।

(5) ऐसे मामलों में ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

39. स्थानांतरित भूमि की पुनर्वापसी

(1) यदि ग्राम सभा को पता चलता है कि आदिवासी जनजाति के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने किसी आदिवासी जनजाति के भूमस्वामी की भूमि पर बिना किसी वैध प्राधिकार के कब्जा कर रखा है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को बहाल कर देगी जिससे वह भूमि मूल रूप से संबंधित थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसा कब्जा उसके विधिक उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

(2) वापस की जाने वाली भूमि के संबंध में विवाद की स्थिति में, ग्राम सभा विवाद समाधान की अपनी प्रक्रिया अपनाएगी।

40. भूमि-अधिग्रहण से पूर्व परामर्श

(1) जब सरकार किसी अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर विचार करती है, तो सरकार या संबंधित प्राधिकारी प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित लिखित जानकारी ग्राम सभा को प्रस्तुत करेंगे:-

(i) परियोजना के संभावित प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की पूरी रूपरेखा।

(ii) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण।

(iii) गांव में नए लोगों के बसने की संभावना और क्षेत्र और समाज पर संभावित प्रभाव, और
(iv) गांव के लोगों के लिए प्रस्तावित भागीदारी, मुआवजे की राशि, नौकरी के अवसर।

(2) पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद संबंधित ग्राम सभाएं संबंधित अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जांच करने के लिए बुलाने में सक्षम होंगी। बुलाये गये ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए बिन्दुवार स्पष्ट एवं सही जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(3) ग्राम सभा सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद विस्थापित व्यक्तियों के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना के संबंध में सिफारिश करेगी।
(4) ग्राम सभा की अनुशंसा पर भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।
(5) यदि भूमि अधिग्रहण अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो वह मामले को पुनर्विचार के लिए फिर से ग्राम सभा को भेजेगा।
(6) यदि दूसरे परामर्श के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों के विरूद्ध कोई आदेश पारित करता है, तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
(7) औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में, ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली सभी ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाएगा।

41. जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन

(1) जल संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें और इन संसाधनों पर सभी ग्रामीणों का समान अधिकार रहे।
(2) ग्राम पंचायत के भीतर जल निकायों का प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा, एक से अधिक ग्राम पंचायत तक फैले जल निकायों का प्रबंधन ब्लॉक पंचायत द्वारा और एक से अधिक ब्लॉक पंचायतों तक फैले जल निकायों का प्रबंधन जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।
(3) ग्राम पंचायत या ब्लॉक या जिला पंचायत, जैसा भी मामला हो, ग्राम सभा से परामर्श करने के बाद, अपनी परंपराओं और प्रचलित विधियों की भावना को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए गांव में उपलब्ध पानी के उपयोग को विनियमित करेगी और उपयोग की प्राथमिकता भी तय करें।
(4) सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए जल निकाय के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले आरपीएमसी से परामर्श करना या ग्राम की सर्वसम्मति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

42. सिंचाई का प्रबंधन

(1) ग्राम पंचायत या ब्लॉक या जिला पंचायत, जैसा भी मामला हो, आरपीएमसी की सलाह लेने के बाद सिंचाई के लिए पानी के उपयोग को नियंत्रित करेगी।
(2) सिंचाई के लिए पानी का उपयोग ऐसा होगा कि सभी को उस तक समान पहुंच की अनुमति होगी।

(3) किसी भी विवाद को आरपीएमसी या ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

43. तालाबों की भूमि का प्रबंधन

ग्राम पंचायत या ब्लॉक या जिला पंचायत, जैसा भी मामला हो, आरपीएमसी और संबंधित विभागों के परामर्श से सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए आशयित तालाबों के जल स्तर में कमी के परिणामस्वरूप उपलब्ध भूमि पर खेती की व्यवस्था करेगी। वह राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए उस जमीन पर उद्ग्रहण दर के बारे में भी निर्णय लेगी.

44. मछली पकड़ना आदि :

(1) गांव के क्षेत्र के भीतर स्थित जल संसाधनों में परंपरा के अनुसार सभी व्यक्तियों को मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा।

(2) स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत मछली पकड़ने के किसी भी पहलू के संबंध में आवश्यक शर्तें लगाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक या अधिक व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र का अन्यायपूर्ण तरीके से विस्तार न करें और मछली की उपलब्धता भी बनाए रखें।

VI. खानें और खनिज

45. ग्राम सभा गौण खनिजों के लिए योजना बनाएगी

(1) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले सहित सभी लघु खनिजों, जिनमें मिट्टी, पत्थर, रेत आदि भी शामिल हैं, की खुदाई और उपयोग की योजना बनाने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम है।

(2) आरपीएमसी इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

46. वैयक्तिक ग्रामवासियों द्वारा प्रयोग

(1) ग्रामवासी पारंपरिक प्रथा के अनुसार अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकते हैं।

(i) खनिजों के प्रयोग के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी।

(ii) ग्राम सभा पारंपरिक आवासों से हटकर पक्के मकान बनाने के लिए स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, रेत आदि के उपयोग की सीमा तय कर सकेगी और उस पर रॉयल्टी भी अधिरोपित कर सकेगी।

(2) ग्राम सभा खुदाई के सामान्य या विशेष दुष्प्रभावों की भरपाई के लिए खुदाई करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ आदि भी तय कर सकेगी जैसे गड्ढे भरना, पेड़ लगाना, तालाब बनाना आदि।

47. लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा

(1) पंचायत या संबंधित सरकारी विभाग ग्राम सभा के परामर्श से ही गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा।

(2) ग्राम सभा गौण खनिजों के पट्टों में पर्यावरण की रक्षा, रोजगार आदि की शर्तें लगा सकेगी।

48. पर्यावरण का संरक्षण

(1) गौण खनिज उत्पादन की व्यावसायिक व्यवहार्यता वाले ग्रामों में गौण खनिजों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करना खनिज विभाग का दायित्व होगा।

(2) यदि सरकार द्वारा पर्यावरण आदि की सुरक्षा के लिए कोई शर्त लगाई गई है तो संबंधित अधिकारी इस संबंध में ग्राम सभा को पूरी जानकारी प्रदान करेगा।

(3) पर्यावरण को लेकर ग्राम सभा द्वारा लगाई गई शर्तों में किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जा सकती है।

(4) गौण खनिजों के दोहन की योजना। इसमें उत्खनन क्षेत्र, क्षेत्र का प्रकार, उत्खनन के दुष्प्रभावों जैसे गड्ढों का अस्तित्व, पानी की कमी, वनस्पति में कमी, खेतों पर राख या धुएं का प्रभाव आदि जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी; गड्ढों को भरकर, पेड़ लगाकर आदि इन सभी प्रभावों को समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

49. नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करना

यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु कोई रियायत दी जाती है, तो उक्त विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

VII. मानवशक्ति

50. ग्राम सभा श्रमिक बल के लिए योजना बनाएगी

(1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियाकलाप संचालित करने में सक्षम है कि गांव की श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग हो जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत और वन संबंधी कार्यों में इनका उपयोग भी शामिल है।

(2) ग्राम सभा ऐसी कोई भी कार्रवाई संचालित कर सकेगी जो लोगों के बीच सहयोग, एक-दूसरे के ज्ञान कार्यों को साझा करने आदि को प्रोत्साहित करती है।

51. ग्राम से बाहर ले जाए गए श्रमिक

(1) श्रमिकों को काम के लिए गांव से बाहर ले जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे काम की प्रकृति और शर्तों को निर्दिष्ट करने वाले लिखित या मौखिक करार के बारे में ग्राम सभा को पूरी जानकारी प्रदान करें और किसी भी श्रमिक को गांव से बाहर ले जाने से पहले उसकी अनुमति लें।

(2) ग्राम सभा या शांति समिति यह सुनिश्चित करेगी कि काम के लिए बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों को उनके काम और उनके साथ किए गए किसी भी करार के बारे में पूरी और सही

जानकारी हो। यदि उन्हें बाहर जाने की शर्त के रूप में या अन्यथा अग्रिम धनराशि दी जानी है, तो ऐसी राशि ग्राम सभा या शांति समिति के समक्ष दी जाएगी।

(3) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को काम के लिए बाहर ले जाया जाना संभव होगा।

(4) ग्राम सभा ऐसी व्यवस्था करने में सक्षम होगी जो वह उचित समझे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़कियां किसी चुंगल में फंस न जाएं। सरकारी एवं संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावा निजी एवं असंगठित क्षेत्र के प्रबंधकों को भी बालिकाओं की कुशलक्षेम के बारे में समय-समय पर संबंधित ग्राम सभा को सूचित करना अनिवार्य होगा।

52. जन्म, मृत्यु आदि का लेखांकन

(1) ग्राम सभा (i) जन्म (ii) मृत्यु (iii) विवाह (iv) त्यौहार (v) आजीविका कमाने के लिए गांव से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के विवरण के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखने में सक्षम है।

(2) इसे ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और इस प्रमाणीकरण का विवरण बैठक की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

(3) विवाद की स्थिति में ग्राम सभा द्वारा तैयार विवरण को साक्ष्य माना जाएगा।

53. काम के लिए वेतन

(1) यदि किसी गांव में सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा कार्य दैनिक मजदूरी के स्थान पर काम के माप के आधार पर कराया जाना है, तो कार्य की दर को ग्राम सभा की आम बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

(2) ग्राम सभा को, अन्य बातों के अलावा, दर तय करने वाले अधिकारी का नाम, अधिनियम का नाम, डेटा और इसे कैसे तय किया गया, इसके तौर-तरीकों के बारे में सूचित किया जाएगा।

(3) ग्राम सभा, उन विवरणों को ध्यान में रखने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो कारण बताते हुए विभाग से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगी।

(4) इन मजदूरी दरों को गांव में किसी आम जगह पर एक बोर्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

54. ग्राम सभा को मस्टर रोल प्रस्तुत किया जाएगा

विभाग या संस्था द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित मजदूरों का मस्टर रोल ग्राम सभा की मासिक आम बैठक में इसकी जानकारी, समीक्षा एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

VIII. नशीले पदार्थों का नियंत्रण

55. नशीले पदार्थों का विनियमन:

ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम है। इसका अर्थ यह है कि ग्राम सभा यह कर सकेगी:

(क) आदिवासियों को अपने उपयोग के लिए स्थानीय शराब बनाने की अनुमति देने की छूट को पूर्णत: समाप्त करना या गांव में इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना।

(ख) किसी दुकान से या किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं की बिक्री को रोकने के निर्देश देना। परंतु यह कि ये निर्देश आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।

(ग) किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ को ग्राम क्षेत्र में लाने या बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाना।

(घ) किसी भी स्थान पर नशीले पदार्थों के भंडारण पर प्रतिबंध लगाना या उस पर सीमा निर्धारित करना।

(ङ) अपने ग्राम क्षेत्र में शराब या अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग पूरी तरह से बंद करना या उस पर कोई प्रतिबंध लगाना।

(च) गांव या बाजार में शराब बनाने में उपयोग होने वाले महुआ, गुड़ आदि की बिक्री पर रोक लगाना।

(छ) ताड़ी, सल्फी आदि के प्रयोग को नियंत्रित करना।

56. नशीले पदार्थ नियंत्रण समिति

(1) ग्राम सभा नशीले पदार्थों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए एक नशा नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी और शिकायतों के आधार पर या स्वमेव लोगों के लाभ के लिए नशीले पदार्थों के नियंत्रण के संबंध में उपयुक्त सुझाव दे सकेगी।

(2) नशा नियंत्रण समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) नशा नियंत्रण समिति के उत्तरदायित्वों में शामिल होगा:

क. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां लाइसेंस में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करना और किसी भी उल्लंघन के मामले में सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट करना।

ख. संबंधित फैक्ट्री के मालिक से शराब के निर्माण, वितरण प्रणाली, इसके पर्यावरणीय प्रभाव आदि सहित लोगों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहना।

(4) ग्राम सभा नशा नियंत्रण समिति के सुचारू संचालन के लिए आबकारी विभाग से सलाह और सहायता ले सकती है।

57. नशीले पदार्थों के विनिर्माता को ग्राम सभा द्वारा अनुदेश

(1) ग्राम सभा लोगों के कल्याण से संबंधित मामलों पर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री के मालिक को उचित निर्देश दे सकेगी, और यदि वह आवश्यक समझे, तो आबकारी विभाग से हस्तक्षेप करने के लिए भी सकेगी।

(2) यदि विभागीय हस्तक्षेप के बाद भी कल्याणकारी कार्यों में सामने आ रही समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो मामला जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा।

58. नया कारखाना अथवा दुकान खोलना:

(1) ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब या अन्य नशीले पदार्थ बनाने की कोई नई फैक्ट्री स्थापित नहीं की जा सकेगी।

(2) सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में शराब या अन्य नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का निर्माण करने या शराब की बिक्री के लिए नई दुकान खोलने के सभी प्रस्तावों को ग्राम सभा को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(3) ऐसे प्रस्तावों को ग्राम सभा की बैठक में जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उन पर अगली बैठक में या ग्राम सभा द्वारा विशेष बैठक में विचार किया जाएगा।

(4) ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि ग्राम सभा किसी मुद्दे पर अनिर्णीत रहती है या प्रस्ताव पर विचार नहीं करती है, तो वह प्रस्ताव अस्वीकार्य माना जाएगा।

(6) पूर्ण गणपूर्ति के अभाव में उपरोक्त प्रस्ताव पर ग्राम सभा की बैठक में विचार नहीं किया जा सकता है।

59. शराब की दुकानों को जारी रखना:

(1) शराब की दुकान को किसी भी वर्ष जारी रखने के लिए आबकारी विभाग द्वारा पिछले वर्ष के दिसंबर माह से पूर्व ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) शराब की दुकान तभी जारी रह सकती है जब शराब की बिक्री जारी रखने की अनुमति देने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया हो।

(3) यदि दिसंबर माह की ग्राम सभा की बैठक तक ऐसा कोई प्रस्ताव आबकारी विभाग से प्राप्त नहीं होता है अथवा प्रस्ताव तो प्राप्त होता है, लेकिन दुकान को जारी रखने की अनुमति देने के संबंध में ग्राम सभा में कोई निर्णय नहीं होता है, तो इसे 1 अप्रैल से दुकान बंद करने का आदेश समझा जाएगा। ऐसे में दुकानदार के लिए 1 अप्रैल से दुकान बंद करना अनिवार्य होगा।

(4) यदि ऐसी दुकान दुकानदार द्वारा स्वेच्छा से बंद नहीं की जाती है तो नशा नियंत्रण समिति स्वविवेक से दुकान बंद कराने के लिए उचित कार्यवाही करने में सक्षम होगी।

60. महिलाओं के विचार महत्वपूर्ण होंगे:

(1) उपरोक्त किसी भी विषय पर ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के विचार ग्राम सभा के विचार माने जायेंगे तथा उन विचारों के अनुसार ही इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

(2) नशा नियंत्रण समिति में किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में महिला सदस्यों के विचार ही समिति के विचार माने जायेंगे।

IX. लघु वन उपज

61. वनों के विभागीय कार्यक्रमों के लिए ग्राम सभा के साथ परामर्श

वनों और वनोपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम बनाने से पहले वन विभाग को ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी: इस परामर्श में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जंगल का दोहन लोगों की सहमति से बनाई गई योजना के अनुरूप हो और ऐसे कोई भी पौधे/पेड़ न काटे जाएं जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी हों और वन उपज का कोई अवैध निर्यात न हो।

62. लघु वन उपज का प्रबंधन

(1) किसी अधिनियम में लघु वन उपज के बारे में कोई उपबंध निहित होने के बावजूद, ऐसी उपज का प्रबंधन लघु वन उपज के संग्रहण, उपयोग और निपटान की स्वामित्व पहुंच अधिकार के संरक्षण के लिए किया जाएगा, जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुरूप परंपरागत रूप से अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों के वन निवासों के गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किया गया है।

(2) ग्राम सभा संबंधित वन अधिकारी के परामर्श से लघु वन उपज के उपयोग या दोहन के बारे में एक कार्य योजना तैयार कर सकेगी।

(3) लघु वनोपज की मात्रा सीमित होने की स्थिति में ग्राम सभा इसके संग्रहण और कुछ लोगों जैसे साधनहीन और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों द्वारा उपयोग के लिए चक्रीय व्यवस्था कर सकती है।

(4) ग्राम सभा लघु वन उपज के दोहन में नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है के लघु वन उपज के संग्रहकर्ता ऐसा कोई कार्य न करें जिससे जंगल को हानि होती हो।

63. ग्राम सभा लघु वन उपज के विक्रय और रॉयल्टी का निर्णय लेगी

(1) वन विभाग के परामर्श से एक या अधिक ग्राम सभाएं मिलकर लघु वन उपज की खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य या चिरौंजी और नमक जैसी अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय दर तय कर सकेगी।

(2) ग्राम सभा लघु वन उपज पर संग्राहक या व्यापारी द्वारा देय रॉयल्टी अवधारित कर सकेगी। यह राशि सभा कोष में जमा करायी जायेगी।

(3) किसी भी अधिनियम, नियम या प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर किसी भी विभाग या संस्था द्वारा एकत्रित किसी भी लघु वन उपज को ग्राम सभा के क्षेत्र से बाहर ले जाए जाने से पूर्व ग्राम सभा को उसका विवरण देना और इसके लिए उसकी मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

64. लघु वन उत्पाद का अधिकारिक प्रबंधन

(1) यदि राज्य सरकार आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किसी लघु वन उपज के व्यापार का आयोजन करती है, तो उस व्यापार को लोगों की ओर से किया गया व्यापार माना जाएगा।

परंतु प्रस्तावित व्यवस्था के लिए ग्राम सभा की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। ग्राम सभा के सुझावों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

(2) उपरोक्त व्यापार में निवल लाभ पर ग्राम सभा एवं संग्राहकों का पूर्ण अधिकार होगा।

65. लघु वनों के लिए योजना

(1) गांव की आवश्यकताओं जैसे पशुओं को चराना, जलावन, घर और हल बनाने के लिए लकड़ी, आदि को पूरा करने के लिए, ग्राम सभा संबंधित वन अधिकारियों के परामर्श से लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले वन संसाधनों के उपयोग के लिए एक लघु वन योजना तैयार करेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति आरपीएमसी से अनुमति पत्र प्राप्त कर संसाधनों का उपयोग कर सकेगा।

(2) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकेगी कि ईंधन के लिए लकड़ी उठाने और आजीविका के संबंध में निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जाए।

(3) ग्राम सभा अपने-अपने क्षेत्रों में वनों का संरक्षण करनी, पर्यावरण में सुधार लाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बना सकती है।

(4) ग्राम सभा विभागीय अनुमति के न होते हुए भी अपने क्षेत्र से ले जाई जाने वाली लकड़ी या वन उपज के बारे में पूछताछ करने में सक्षम है।

(5) यदि पूछताछ करने पर अवैध संचालन का संदेह हो तो ग्राम सभा मौके पर ही उसे रोकने में सक्षम है।

X. बाजारों का प्रबंधन

66. बाजारों पर नियंत्रण

ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर बाजारों को नियंत्रित और प्रबंधित करने में सक्षम है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) बाजार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं को पानी, शेड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(ख) बाजार में हानिकारक वस्तुओं की आमद और बिक्री पर रोक लगाना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि लेनदेन में वजन, माप और भुगतान सही हैं।

(घ) ली जाने वाली कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसे साझा करना।

(ङ) कीमतों के संबंध में धोखाधड़ी या गलत सूचना सहित सभी अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाना।

(च) बाजार या उसके आसपास के क्षेत्र में जुआ, सट्टेबाजी, किस्मत आजमाना, मुर्गों की लड़ाई आदि पर रोक लगाना।

(छ) बाजार के दुकानदारों पर कर लगाना।

परंतु कि मंडी में उपज बेचने आने वाले छोटे विक्रेताओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ग्राम सभा यह तय करने में सक्षम होगी कि छोटे विक्रेता के रूप में कौन योग्य है।

67. बाजार समिति

(1) जिन गांवों की ग्राम सभाएं कोई समान बाजार साझा करती हैं, वे गांव के बाजार के प्रबंधन के लिए एक बाजार समिति का गठन कर सकती हैं। बाजार की व्यवस्था के लिए बाजार समिति जवाबदेह होगी।

(2) जिस गांव में बाजार समिति के निर्देश पर बाजार लगता है, उस गांव का शांति कोर बिना किसी विवाद या झगड़े के बाजार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) किसी भी विवाद की स्थिति में बाजार समिति के निर्णय को ग्राम सभा में चुनौती दी जा सकेगी। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

XI. साहूकारी

68. साहूकारी के लेनदेन पर नियंत्रण : व्याप्ति और प्रक्रिया

(1) किसी भी अधिनियम या विधि में किसी भी उपबंध होने के बावजूद, विस्तार अधिनियम की धारा 4 (ड) की भावना के अनुसार, ग्राम सभा सभी ग्रामीणों के साहूकारी संव्यवहारों को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके लिए वह एक ऋण नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी।

टिप्पणी: साहूकारी संव्यवहारों में सरकार, सहकारी समितियों, साहूकारों, बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा किसी अधिनियम के अंतर्गत या निजी तौर पर या अनौपचारिक रूप से, परंपरा के अनुसार या अन्यथा दिए गए ऋण आदि शामिल हैं।

(2) ग्राम सभा निजी लेन-देन के मामलों में अधिकतम ब्याज और पुनर्भुगतान की शर्त तय करने में सक्षम है।

(3) ग्राम सभा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ग्रामीणों को दिए गए ऋण, उसकी शर्तें, पुनर्भुगतान की स्थिति आदि के संबंध में कोई भी जानकारी मांग सकेगी। इन मामलों में, जानकारी मांगे जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था निर्धारित समय के भीतर ग्राम सभा को पूरी जानकारी प्रदान करेगी।

(4) कोई ग्रामीण किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए ऋण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लेन-देन में भ्रष्टाचार, वसूली कार्यवाही, ऋण चुकाने में असमर्थता आदि के संबंध में ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से अपना मामला रख सकता है। यदि कोई मौखिक शिकायत है, तो ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति के सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार करे और उसे रिकॉर्ड में रखे।

(5) उपरोक्त वर्णित आवेदन पर विचार करने के बाद यदि ग्राम सभा स्वयं या ऋण नियंत्रण समिति के निष्कर्षों के आधार पर यह पाती है कि आवेदक के साथ अन्याय हुआ है, तो वह संबंधित संस्था/व्यक्ति को अन्याय का निवारण करने का निर्देश दे सकेगी।

(6) ग्राम सभा, विशेषकर आदिवासियों के मामले में, किसी बैंक, सोसायटी या किसी ऋणदाता को निर्देश दे सकेगी कि ऋण केवल ग्राम सभा या उसकी ऋण नियंत्रण समिति की उपस्थिति में ही वितरित किया जाए। ऋण के पुनर्भुगतान के बारे में भी यही निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

(7) ग्राम सभा के अनुदेश बाध्यकारी होंगे।

(8) यदि संबंधित संस्था को इन अनुदेशों बारे में कोई संदेह है, तो वह जिला कलेक्टर से अपील कर सकेगी। जिला कलेक्टर एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, जो शिकायत का समाधान करेगा।

69. करारों की समीक्षा

ग्राम सभा गांव में सभी प्रकार के मजदूरों के लिखित, मौखिक और अनौपचारिक करारों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है कि ऋण के भुगतान के रूप में कोई जबरन श्रम शामिल न हो।

70. ऋण के भुगतान का पुनर्निर्धारण

(1) कोई ऋणी अपने ऋण के पुनर्निर्धारण के लिए ग्राम सभा को आवेदन कर सकेगा।

(2) प्रस्तुत जानकारी और अन्य तथ्यों के आधार पर ऋण के संबंध में छूट या रियायत के किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, ग्राम सभा अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगी: -

(क) ऋण की राशि और वह तारीख, जब आवेदक को प्राप्त हुई है।

(ख) पहले ही चुका दी गई किस्तें।

(ग) क्या आवेदक को संबंधित कार्यक्रम के लिए समय पर और उसकी आवश्यकता के अनुसार ऋण या अनुदान प्राप्त हुआ है।

(घ) क्या आवेदक को उसकी समझ से परे परिस्थितियों में ऋणदाता संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिली है।

(ड.) क्या आवेदक को ऋण लेने के बाद वांछित लाभ प्राप्त हुआ?

(च) क्या वसूली हेतु किश्तें तय करते समय और तदनुसार वसूली करते समय आवेदक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विचार किया गया है।

(3) ऋण के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, ग्राम सभा ऋण को पुनर्निर्धारित कर सकेगी और उसके पुनर्भुगतान के लिए किश्तें तय कर सकेगी।

(4) ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

71. ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि की कोई कुर्की अथवा नीलामी नहीं होगी

किसी भी ऋण की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की सहित कोई भी कानूनी कार्रवाई ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है, तो वह ग्राम सभा को इस बारे में आवेदन दे सकेगा। ग्राम सभा आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय होने तक उस कार्रवाई को रोकने का निर्देश भी दे सकेगी।

72. बीज और अनाज भंडार

(1) ग्राम सभा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आपसी सहयोग से गांव में बीज भंडार का भंडारण करने में सक्षम है: -

(i) ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में अनाज और अन्य उपज उपलब्ध कराना, और

टिप्पणी: गांव की आवश्यकताओं में शामिल है - किसी भी कारण से फसल खराब होने की स्थिति में आपातकालीन स्थिति के लिए भोजन बीज और आदि का प्रावधान।

(ii) उन व्यक्तियों को अग्रिम की सुविधा प्रदान करना जिनके पास भोजन की कमी है।

(iii) किसानों को कम कीमत पर अनाज बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना।

(2) ग्राम सभा अपने सदस्यों द्वारा भंडारण में योगदान और अन्न भंडार द्वारा अनाज की खरीद के संबंध में नियम बना सकेगी।

(3) ग्राम सभा अपने सदस्यों को प्राकृतिक न्याय की परंपराओं और सिद्धांतों के अनुसार भंडारण से ऋण के रूप में अनाज आदि उपलब्ध कराने की शर्तें तय करने में सक्षम है।

XII. लाभार्थियों की पहचान करने, योजनाओं के अनुमोदन, पर्यवेक्षण आदि की शक्तियां

73. ग्राम सभा लाभार्थियों की पहचान करेगी:

(1) ग्राम सभा सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों के बीच से विकास कार्यक्रमों के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर लाभार्थियों की पहचान के लिए नियमों और मानदंडों को अंतिम रूप देने में सक्षम है।

(2) सभी विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

74. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन:

(1) ग्राम पंचायत के लिए गांव की योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में सभी ग्राम सभाओं की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

(2) गांव में कोई भी कार्यक्रम या परियोजना शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत, कोई भी सरकारी विभाग या कोई अन्य संस्था उसे अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(3) संबंधित संस्था निम्नलिखित सहित उस कार्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी:

(क) गांव के विकास के लिए अंतिम रूप दिए गए उद्देश्यों के संदर्भ में कार्यक्रम की प्रासंगिकता और महत्व।

(ख) कार्यक्रम का पूरा वित्तीय विवरण, जैसे सरकार द्वारा व्यय, ऋण या सहायता।

(ग) निर्माण कार्यों, उनके आयाम, निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी और मशीनों का उपयोग, स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी, ठेकेदारों की भूमिका आदि से संबंधित मामलों में।

(4) ग्राम सभा का यह अधिकार होगा:-

(क) किसी योजना, कार्यक्रम या परियोजना को उसी रूप में स्वीकृत करना जिस रूप में वह संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई हो या उस पर शर्तें रखेगी।

(ख) कार्यक्रम की स्वीकृति देते समय गांव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करना।

(5) ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

75. सरकारी विभागों और ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन

(1) ग्राम पंचायत और उसकी समितियां ग्राम सभा के नियंत्रण और निर्देशन में काम करेंगी और वे ग्राम सभा के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगी।

(2) ग्राम पंचायत का कार्यकरण सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा। लेकिन इन नियमों और ग्राम सभा के निर्देशों के बीच टकराव की स्थिति में, ग्राम सभा की सर्वोच्चता होगी।

(3) यदि ग्राम सभा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई ऐसा निर्णय लेती है जिससे किसी विभाग या अधिकारी के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो तो निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:

(क) संबंधित विभाग का प्रतिनिधि अधिकारी विवादित मामले पर कार्रवाई स्थगित कर ग्राम सभा के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करेगा और उससे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगा।

(ख) यदि विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले को जिला कलेक्टर को संदर्भित करेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

76. व्ययों का प्रमाणीकरण

(1) ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए ग्राम सभा से सभी निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) ग्राम सभा यह प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम है कि गांव में किसी भी रूप में दी गई राशि या किसी विभाग या संस्था द्वारा किसी मद के अंतर्गत लिया गया कार्य उचित रूप से खर्च किया गया है।

(3) ग्राम सभा द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वैध माना जाएगा।

77. ग्राम सभा को दिए गए कार्यों के बारे में विवरण

(1) ग्राम सभा की बैठकों में क्षेत्र में काम करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा गांव में किए जाने वाले वाले हर काम की पूरी जानकारी दी जाएगी.

(2) कार्य की गुणवत्ता, व्यय के प्रमाणीकरण आदि से संबंधित कोई भी आपत्ति ग्राम सभा के समक्ष रखी जा सकती है। ग्राम सभा मुद्दे की जांच कर सकेगी और सुधार के लिए उचित निर्देश दे सकेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) किसी भी कार्यक्रम के पूरा होने पर या उसका पूरा विवरण ग्राम सभा की अगली बैठक से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

78. पंचायत की पूछताछ आदि:

(1) पंचायत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यकरण की कोई भी पूछताछ ग्राम सभा के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।

(2) ग्राम सभा से परामर्श के बाद की गई पूछताछ के परिणामों को अंतिम रूप देने से पहले,

परिणाम ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में ग्राम सभा के साथ किए गए परामर्श को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक पाया जाता है, तो परिणामों में उचित संशोधन किया जाएगा और रिपोर्ट उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(3) सभी संस्थाओं की समीक्षा के दौरान ऊपर (2) में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

79. सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा

(1) ग्राम सभा समय-समय पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ-साथ स्थानीय संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल आदि की समीक्षा करने में सक्षम होगी।

(2) ग्राम सभा अपनी समीक्षा में सहायता के लिए विशेष समितियों का गठन कर सकेगी।

(3) स्थानीय संस्थाओं की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन संबंधित पदाधिकारियों को करना होगा।

80. राज्य विधान समुदाय की प्रथागत विधियों, सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रबंध रीति-रिवाजो के अनुरूप होगा

(1) यदि ग्राम सभा की राय है कि कोई भी राज्य विधान प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप नहीं है तो वह इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

(2) इस प्रकार पारित संकल्प ग्राम सभा द्वारा जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(3) ग्राम सभाओं के ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति के विधायक और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे। समिति ग्राम सभा के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद अपनी सिफारिशें करेगी।

(4) राज्य सरकार उपरोक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्रवाई करेगी.

XIII. खंड और जिला पंचायतों में नामांकन

81. राज्य सरकार खंड और जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को नामांकित करेगी

(1) राज्य सरकार किसी खंड या जिला पंचायत में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नामांकित कर सकेगी, बशर्ते कि नामांकित व्यक्तियों की संख्या पंचायतों की कुल संख्या के 10% से अधिक न हो।

(2) परंतु यह कि विभिन्न जनजातियों में से सदस्यों को चक्रानुकरम द्वारा नामांकित किया जाएगा।

अनुबंध-I

पेसा नियमों के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा त्रिमेय अपराध:

क्र.सं.	आईपीसी के अंतर्गत धारा	अपराध	अधिकतम दंड
1.	160	दंगा	100 रु. से अनधिक जुर्माना
2.	264	तोल के लिए नकली उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग	500 रु. से अनधिक जुर्माना
3.	265	गलत तोल अथवा मापन का कपटपूर्ण उपयोग	500 रु. से अनधिक जुर्माना
4.	266	अपने पास गलत बाट या माप रखना	200 रु. से अनधिक जुर्माना
5.	267	गलत बाट या माप बनाना या बेचना	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
6.	269	लापरवाहीपूर्ण कृत्य जिससे जीवन के लिए जोखिमपूर्खण तरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो	500. रु. से अनधिक जुर्माना
7.	277	सार्वजनिक झरने या जलाशय का जल दूषित करना	500 रु. से अनधिक जुर्माना
8.	283	सार्वजनिक मार्ग या नेविगेशन लाइन में खतरा या रुकावट पैदा करना	200 रु. से अनधिक जुर्माना
9.	285	आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण	500 रु. से अनधिक जुर्माना
10.	286	विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
11.	288	भवनों को ढहाने या उनकी मरम्मत करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण	500 रु. से अनधिक जुर्माना
12.	289	पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण	500 रु. से अनधिक जुर्माना
13.	290	अन्यथा उपबंधित न किए गई मामलों में सार्वजनिक उत्पात	200 रु. से अनधिक जुर्माना
14.	294	अश्लील कृत्य और गीत	200 रु. से अनधिक जुर्माना
15.	298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द आदि बोलना	500 रु. से अनधिक जुर्माना
16.	323	जानबूझकर चोट पहुंचाना	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
17.	334	उकसाए जाने पर जानबूझकर चोट पहुंचाना	500 रु. से अनधिक जुर्माना
18.	336	अन्य के जीवन अथवा वैयक्तिक सुरक्षा को जोखिम में डालने का कृत्य	250 रु. से अनधिक जुर्माना

19.	341	गलत तरीके से अवरोध	500 रु. से अनधिक जुर्माना
20.	352	गंभीर रूप से उकसाए जाने को छोड़कर हमला अथवा आपराधिक बल	500 रु. से अनधिक जुर्माना
21.	374	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
22.	379*	चोरी	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
23.	403*	संपत्ति का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोजन	500 रु. से अनधिक जुर्माना
24.	411*	चोरी की संपत्ति को बेईमानीपूर्वक प्राप्त करना	500 रु. से अनधिक जुर्माना
25.	417*	धोखाधड़ी	500 रु. से अनधिक जुर्माना
26.	426	शरारत	200 रु. से अनधिक जुर्माना
27.	427	पचास रुपये की राशि की क्षति कारित करने की शरारत	200 रु. से अनधिक जुर्माना
28.	428	दस रुपये मूल्य के किसी भी जानवर को मारने या अपंग करने की शरारत	100 रु. से अनधिक जुर्माना
29.	429	किसी भी मूल्य के मवेशी या 50 रुपये मूल्य के किसी भी जानवर, आदि को मारने या अपंग करने की शरारत	500 रु. से अनधिक जुर्माना
30.	447	आपराधिक अतिचार	500 रु. से अनधिक जुर्माना
31.	448	गृह अतिक्रमण	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
32.	500	अवमानना	500 रु. से अनधिक जुर्माना
33.	504	शांति भंग करने को उकसाने के आशय से जानबूझकर किया गया अपमान	200 रु. से अनधिक जुर्माना
34.	506	आपराधिक रुप से उकसाना	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
35.	509	किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने के लिए आशयित कहे गए शब्द, भंगिमा या कृत्य	1000 रु. से अनधिक जुर्माना
36.	510	नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से किया गया कदाचार	10 रु. से अनधिक जुर्माना

***परंतु यह कि संपत्ति की राशि 250 रुपये से अधिक नहीं होगी।**